भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-1, में प्रकाशनार्थ भारत सरकार विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली, दिनांक: 20 अक्तूबर, 2021

संकल्प

सं. 11015/3/2019-हिंदी - विद्युत मंत्रालय के दिनांक 23 दिसंबर, 2016 के संकल्प संख्या 11015/9/2016-हिंदी के अधिक्रमण में भारत सरकार एतद्द्वारा विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन करती है। समिति का गठन, कार्य इस प्रकार होंगे -

(क) समिति का गठन

विद्युत मंत्री विद्युत राज्य मंत्री

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

1. श्री मनोज किशोर भाई कोटक, संसद सदस्य (लोक सभा) (महाराष्ट्र)	Harm
2 श्री मोश क्यार कश्मा क्यार क्रिकार क्यार	सदस्य
2. श्री सुरेश कुमार कश्यप, संसद सदस्य (लोक सभा) हिमाचल प्रदेश	सदस्य
3. डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य (राज्य सभा) (ओडिशा)	
1 भी निकार के अंग राजर में (राज्य सामा) (जा।हरा।)	सदस्य
4. श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य (राज्य सभा) (झारखंड)	77-77
, (+1.50)	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

5.	श्री मन	ोज कुमा	र तिवा	री, संस	द सदस	य (लोक	सभा)
		रंजनबेन					

सदस्य

सदस्य

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि

7. श्री गोपाल कृष्ण फरलिया

सदस्य

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के प्रतिनिधि

8. डॉ. अरुणाकर पाण्डेय

सदस्य

मंत्रालय द्वारा नामित

9. श्री पूरन चन्द टंडन, डी-67, शुभम एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

10. श्री विकास दवे, 3, वीआईपी धनश्री नगर, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर-452009

सदस्य सदस्य

11. श्री यतीन्द्र कुमार कटारिया, सघन क्षेत्र, चांदपुर मार्ग, मंडी धनौरा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश-244231

सदस्य

12.	श्री विनय प्रीत सिंह, मकान सं. ए-14, भूतल, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश पार्ट-I, नई दिल्ली-110048	सदस्य
राज	भाषा विभाग द्वारा नामित	
	श्री मथावन पिल्लई, नं. 8/63, मुख्य मार्ग, कराविल्लई, विल्लुक्री पोस्ट,	सदस्य
	कन्याक्मारी, तमिलनाड्-629180	
14.	डॉ. सीमा देबबर्मा, नेताजी क्लब के पास, पोस्ट-उजान, अभोय नगर,	सदस्य
	अगरतला पश्चिम, त्रिपुरा-799005	
15.	श्री ओमप्रकाश शुक्ल, छिबरामऊ, बनवारी नगर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश-209721	सदस्य
		75 to 10 to
	<u>भारी सदस्य</u>	
16.	सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
18.	अपर सचिव (एसकेजीआर), विद्युत मंत्रालय	सदस्य
19.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड कॉपरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुरुग्राम	सदस्य
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली	सदस्य
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉपॅरिशन लिमिटेड, नई दिल्ली	ा सदस्य
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद	सदस्य
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएनएल लिमिटेड, शिमला	सदस्य
27.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश	सदस्य
28.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन	सदस्य
	तिमिटेड, शिलांग	
29.	अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़	सदस्य
30.	अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम, कोलकाता	सदस्य
31.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
32.	महानिदेशक, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलूरू	सदस्य
	महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद	सदस्य
34.	महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली	सदस्य
35.	संयुक्त सचिव (प्रभारी, राजभाषा), विद्युत मंत्रालय	सदस्य-सचिव

ख. कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा नीति के ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विद्युत मंत्रालय को सलाह देना होगा।

ग. कार्य-काल

समिति का कार्य उनके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्तें कि -

- 1. समिति में नामित संसद सदस्य जैसे ही संसद के सदस्य नहीं रहेंगे, इस समिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे।
- 2. समिति के सरकारी सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उस पद को धारण किए हुए हैं, जिसके कारण उन्हें समिति का सदस्य बनाया गया है।
- 3. अविध के बीच रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद आने वाले अधिकारी से भरा जाएगा और यह अधिकारी तीन वर्ष की अविध के बकाया समय के लिए समिति का सदस्य रहेगा।

घ. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, परन्तु समिति की बैठक किसी भी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है।

ङ. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठक में भाग लेने वाले गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित दर और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

(विशाल कपूर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002

सं. 11015/3/2019-हिंदी

दिनांक: 20 अक्तूबर, 2021

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1. समिति के सभी सदस्य।
- 2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
- उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
- प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
- मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
- लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9. नीति आयोग, नई दिल्ली।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 11. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
- 12. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
- भेड. निदेशक मीडिया, पत्र सूचना कार्यालय, कमरा नं. 130, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के बारे में एक प्रेस नोट जारी किया जाए।
- 14. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
- 15. राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-॥ बिल्डिंग, जय सिंह रोड, नई दिल्ली।
- 16. विद्युत मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी।
- 17. विद्युत राज्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्य अधिकारी।
- 18. सचिव (विद्युत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव (विद्युत) के प्रधान निजी सचिव।
- 19. विद्युत मंत्रालय के सभी अधिकारी तथा अनुभाग आदि।
- विद्युत मंत्रालय के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम,
 स्वायतशासी निकाय, संस्थान, सोसाइटी, बोर्ड आदि।

(अमित प्रकाश)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

द्रभाष: 011-23715507/215

To be published in the Gazette of India Part-I, Section-I Government of India Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi, Dated: 20 October, 2021

Member Member

RESOLUTION

No. 11015/3/2019-Hindi. In supersession of Ministry of Power's Resolution No. 11015/9/2016-Hindi dated 23rd December, 2016 Government of India hereby constitute the Hindi Advisory Committee (HAC) of Ministry of Power. The Composition of the Committee, its functions etc. will be as under: -

Power. The Composition of the Committee, its functions etc. will be as under:	mmittee (HAC) of Ministry of
(A) Constitution of the Committee Minster of Power Minster of State for Power	Chairman
Non-Official Members	Vice-Chairman
Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs 1. Shri Manoj Kishorbhai Kotak, MP (Lok Sabha) (Maharashtra) 2. Shri Suresh Kumar Kashyap, MP (Lok Sabha) (Himachal Pradesh) 3. Dr. Sasmit Patra, MP (Paire Sakha) (Climachal Pradesh)	Member
4. Shri Mahesh Poddar, MP (Rajya Sabha) (Jharkhand)	Member Member Member
Nominated by Committee of Parliament on Official Language 5. Shri Manoj Kumar Tiwari, MP (Lok Sabha) 6. Smt. Ranjanben Bhatt, MP (Lok Sabha)	Member
	Member
Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad 7. Shri Gopal Krishna, Faraliya	Member
Representative of Nagari Pracharini Sabha, Varanasi	Member
8. Dr. Arunakar Pandey	Member
Nominated by the Ministry 9. Shri Pooran Chand Tandon, D-67, Shubham Enclave, Paschim Vihar, New Delhi-110063	Member
10. Shri Vikas Dave, 3, VIP Dhanshree Nagar, Annapurna Road, Indore-452009	Member
12. Shri Vinay Preet Singh, House No. A :14. Crown Live	Member
ramposh Enclave, Greater Kallash Part-I, New Delhi-110048	Member
Nominated by the Department of Official Language 13. Shri Mathavan Pillai, No. 8/63, Main Road, Karavilai, Villukuri Post, Kanyakumari-629180	Member
14. Dr. Sima Debbarma, Near Netaji Club, P/o Ujan Abhoy Nagar Agartala, West Tripura-799005	Member
15. Shri Omprakash Shukla, Chhibramau, Banwari Nagar, Kannauj, Uttar Pradesh-209721	Member
Official Members 16. Secretary, Ministry of Power	
1/. Secretary, Department of Official Language M.	Member
	Member Member
 Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi 	Member
21. Chairman & Managing Director, Power Grid Corporation of India Limited, Gurgaon	Member Member
22 Chairman	FINCTURY TOTAL TOTAL

Chairman & Managing Director, NTPC Limited, New Delhi

Chairman & Managing Director, Power Finance Corporation Limited,

22.

23.

24.	New Delhi Chairman & Managing Director D	
25. 26.	Chairman & Managing Director, Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi Chairman & Managing Director, NHPC Limited, Faridabad Chairman & Managing Director, SNAR, John Managing	Member
27. 28.	Chairman & Managina Di	Member
	Corporation Limited Chili Eastern, Electric Power	Member Member
29. 30.	Chairman, Bhakhra Beas Management Board, Chandigarh	Member
31. 32.	Chairman, Central Electricity Regulatory Commission, New Delhi	Member Member
33. 34.	Director General, National Power Training Institute, Faridabad	Member Member
35.	Director General, Bureau of Energy Efficiency, New Delhi Joint Secretary (In-charge, Official Language), Ministry of Power	Member Member
В.	Functions	Member-Secretary

The functions of the Committee will be to advise the Ministry of Power in matters relating to the progressive use of Hindi for Official work and allied issues falling within the frame-work of the Official C.

The tenure of the Committee will be three years from the date of composition, provided that:-

- 1. A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a member of the Committee as
- Official members of the Committee shall continue as members as long as they hold office by virtue of
- 3. Any mid-term vacancy shall be filed up the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.

D.

The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also. E.

Travelling and Other Allowances

The Non-Official Members will be paid travelling and daily allowance for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in the Office Memorandum No. 11/20034/4/86-OL(A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Committee, President's Secretariat, Vice- President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, Ministry of Parliamentary Affairs, Controller and Auditor General of India, all Ministries and Departments of Government of India and all State Government and Union Territory Administrations.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

To

Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110002

Copy forwarded to -

- 1. All members of the Committee.
- All Ministries and Departments of Government of India. 2.
- 3. President's Secretariat, New Delhi.
- Vice President's Secretariat, New Delhi. 4.
- 5. Prime Minister's Office, New Delhi.
- 6. Cabinet Secretariat, New Delhi.
- Lok Sabha Secretariat, New Delhi. 7.
- 8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
- 9. NITI Aayog, New Delhi.
- Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi. 10.
- Controller and Auditor General of India, New Delhi 11.
- 12. Parliament House Library, New Delhi.
- Director Media, Press Information Bureau, Room No. 130, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New 13. Delhi. It is requested that a press note relating to the above decision of the government may kindly be issued.
- Committee of Parliament Official Language, 11, Teen Murti Marg, New Delhi. 14.
- Department of Official Language, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi. 15.
- PS/OSD to Minister for Power 16.
- PS/OSD to Minister of State for Power 17.
- Sr. PPS to Secretary (Power)/PPS to Additional Secretary (Power). 18.
- All Officers and Sections etc. of the Ministry of Power 19.
- All attached/Subordinate offices, Public Sector Undertaking, Corporations, Autonomous 20. Bodies, Institutions, Societies, and Board etc. of the Ministry of Power.

(Amit Prakash) Joint Director (OL)

Tele-011-23715507/215